राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

राजस्व रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 2003/3559/भरतपुर राजस्थान सरकार बनाम रामस्वरूप

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.2020	**एकलपीठ** **श्री मोडू दान देथा, सदस्य** **उपस्थित :** **श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी** **श्री जे.के.पारीक एवं जसराज जयपाल अभिभाषकगण अप्रार्थी** प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार है तहसीलदार, बैर ने जिला कलक्टर, भरतपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बादसरेन तहसील बैर, जिला भरतपुर के कुल किता 20 रकबा 43 बीघा 2 बिस्वा एवं कुल किता 9 रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा के संदर्भ में सहायक कलक्टर, बैर के प्रकरण संख्या 272/87 के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.08.1987 को निरस्त किया जाये। क्योंकि ऐसे मामलों में प्रचलित विधि के अनुसार पंजीयन होना अपेक्षित है। अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 18.08.2000 द्वारा रेफरेन्स संस्तुति के साथ मण्डल को अग्रेषित किया। मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 15.12.2001 द्वारा रेफरेन्स को अतिरिक्त कलक्टर को प्रतिप्रेषित किया। अतिरिक्त कलक्टर ने अपने आदेश दिनांक 20.06.2003 द्वारा रेफरेन्स को मण्डल को अग्रेषित किया। उभयपक्ष के विद्वान वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 38 व 42 का उल्लंघन से राज्य सरकार को पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क की हानि हुई है। विक्रय पत्र के माध्यम से स्थानान्तरण का प्रकरण है जिसे राजीनामा के आधार पर डिक्री किया गया है। अतिरिक्त कलक्टर ने रेफरेन्स प्रेषण के समय विक्रय पत्र दिनांक 14.05.80 का परीक्षण किया है। उक्त विक्रय पत्र में राजीनामा में अंकित सभी खसरा नम्बरान का विक्रय किया गया है वह भी राजीनामा से भिन्न है। आराजी करीब 63 बीघा का निर्णय किया गया है। राजीनामा के आधार पर पारित डिक्री/आदेश में वादीगण रामस्वरूप व गुलकन्दी ने 2/3 हिस्सा अपने पक्ष में रखा है तथा फूसिया के पक्ष में 1/3 हिस्सा छोड है। विक्रय पत्र में समस्त आराजी सम्मिलित नहीं है निसन्देह करीब 40 बीघा भूमि के हस्तान्तरण से मुद्रांक कर अपवंचन किया गया है, ऐसी स्थिति में राज्यहित में डिक्री/निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। रेफरेन्स स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्तागण ने तर्क दिया कि धारा 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान है कि काश्तकार विनिमय कर सकते है और ऐसे विनिमय वित्त विभाग द्वारा पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क से मुक्त कर रखे हैं	

विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रकरण विनिमय का नहीं है अपितु न्यायालय निर्णय है और इसमें किसी भी दस्तावेज का पूर्ण मुद्रांकित होना अपेक्षित नहीं था। क्योंकि ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं था और न ही निर्णय का आधार है। राज्य सरकार के आदेश है कि सहकाश्तकार विभाजन में हिस्सा कम ज्याद कर सकते है और अधिकारीगण इस पर आपत्ति नहीं करेंगे साथ ही आरआरडी 2006 पृष्ठ 487 शीला देवी बनाम रामसिंह के अनुसार न्यायालय निर्णयों में स्टाम्प ड्यूटी देय नहीं है। तर्क दिया कि आदेश अपील योग्य था यदि व्यथा थी तो इसकी अपील जिला कलक्टर कराते अथवा कलक्टर स्टाम्पस अपील करवाते। अंतरण का कोई मामला ही नहीं है। निर्णय धारा 42(बी) अथवा टिनेन्सी की किन्हीं शर्तों की अवहेलना में नहीं है न ही विधि के आज्ञापक सिद्धान्तों या लोकनीति के विरूद्ध है धारा 42(ए) भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त की जा चुकी है। धारा 38 का कोई उल्लंघन नहीं है काश्तकार आपसी राजीनामे से या सक्षम न्यायालय से न्याय निर्णय करा सकते है जिन पर राजीनामा नहीं है उन पर न्यायनिर्णय हो सकता है तथा आंशिक राजीनामा व आंशिक गुणावगुण देखकर भी निर्णय हो सकता है। अतः रेफरेन्स खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं विद्वान वकुलाय के कथनों पर मनन किया।

रेफरेन्स ऐसे न्यायालय निर्णय के विरूद्ध है जिसमें राजस्व या शुल्क की अपवंचना कथित थी तो निर्णय अपील योग्य था तथा जिला कलक्टर भूमिधारी तहसीलदार या कलक्टर स्टाम्पस द्वारा इसकी अपील की जा सकती थी क्योंकि निर्णय अपील योग्य था किन्तु इसका रेफरेन्स किया गया है। कलक्टर स्टाम्पस का कोई आंकलन पेश नहीं किया है न ही अपनी और से कोई आंकलन पेश किया है राजस्व की कितनी हानि हुई। टिनेन्सी की ऐसी अवहेलना के कथन नहीं है जिसके अनुसरण में यह अंतरण गैर खातेदारी होने अथवा 42(बी) की अवहेलना में था या अंतरण योग्य किसी भी स्थिति में नहीं था। 42(ए) विलोपन का प्रभाव भूतलक्षी निर्णयज विधि द्वारा है। निर्णय 1987 का है और उसे अब तैंतीस वर्ष हो गए है। ऐसी स्थिति में यह रेफरेन्स स्वीकार करने योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडू दान देथा)
सदस्य

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

राजस्व रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 2003/3559/भरतपुर राजस्थान सरकार बनाम रामस्वरूप

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं विद्वान वकुलाय के कथनों पर मनन किया।	

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

राजस्व रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 2003/3559/भरतपुर राजस्थान सरकार बनाम रामस्वरूप

	4	

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए